



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230430
CG-DL-E-16102021-230430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943

No. 463]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021

F. No. CEA-PS-11-23(21)/10/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 504, डेलफी विंग 'बी', हीरानंदानी बिजनेस पार्क, पवई, मुंबई- 400076 में है, ने पारेषण योजना “मेसर्स नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड के कच्छ, गुजरात में 300 MW विंड फार्म्स ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1) दिनांक 16.07.2020 तथा 03.09.2021 के द्वारा पारेषण योजना “मेसर्स नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड के कच्छ, गुजरात में 300 MW विंड फार्म्स ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाईन के लिए मेसर्स नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड ने 18.08.2020 (टाइम्स ऑफ़ इंडिया, कच्छ मित्रा) , 20.12.2020 (दैनिक भास्कर) के स्थानीय अखबारों तथा भारत के राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 16.01.2021 से 22.01.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड ने 10.05.2021 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि भारत के समाचार पत्रों / राजपत्रों में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मेसर्स नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड के कच्छ, गुजरात में 300 MW विंड फार्म्स ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के तहत विद्युत लाईने बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाईनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड - भुज पीएस 220 kV S/c लाइन

स्कीम के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी :-

राज्य: गुजरात

जिला	तहसील	गाँवों के नाम
कच्छ	नखत्राणा	रतडिया, विगोडि, अंबारा (अमारा), नागवीरी, भुंजय नानी, खिरसरा, रामपार, रंगयापाडार, नेत्रा, लक्ष्मीपर, बांदियारा, बैवरीतारा, लक्ष्मीपुर (तारा), लिफरी, बाड़ी, निरोना, पालनपुर, बिबार, खराडिया, जालू, वांग, ददर, लिरियारी, छारी फुले, धामे, मुरु, उगेदी ।
कच्छ	लखपत	भदरामोता, भदारानाना, देदरानी, कंधोरा, डेनमा, सांभरा, कोटडा, धरंग।
कच्छ	अवडासा	आशापर, जगलिया, बंदिया, उसतिया (भण्डिया), कुवापदधर, गोयला।

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाईन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाईनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत उपयुक्त आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

- (iv) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- (vi) मेसर्स नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

वि. कु. मिश्र, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./323/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 13th September, 2021

F. No. CEA-PS-11-23(21)/10/2020-PSPA-I Division.—whereas M/s Netra Wind Private Limited (NWPL), the applicant with its registered office at 504, Delphi Wing ‘B’, Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai-400076, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity for 300 MW wind farms to M/s Netra Wind Private Limited in Kutch, Gujarat”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1) dated 16.07.2020 and 03.09.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Netra Wind Private Limited for the overhead line covered under the transmission scheme “Connectivity for 300 MW wind farms to M/s Netra Wind Private Limited in Kutch, Gujarat”.

M/s NWPL has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 18.08.2020 (Times of India, Kutch Mitra), 20.12.2020 (Dainik Bhaskar) and in Weekly Gazette of India dated 16.01.2021 to 22.01.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s NWPL has submitted an affidavit dated 10.05.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885, with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines covered under the transmission scheme “Connectivity for 300 MW wind farms to M/s Netra Wind Private Limited in Kutch, Gujarat”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Netra Wind Private Limited – Bhuj PS 220 kV S/c line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE: GUJARAT

District	Tehsil	Name of Villages
Kutch	Nakhatrana	Ratadiya, Vigodi, Ambara (Amara), Nagviri, Bhunjay- Nani, Khirsara, Rampar, Rangaypadar, Netra, Laxmipar, Bandiyara, Baivaritara, Lakshmipur (Tara), Lifri, Badi, Nirona, Palanpur, Bibar, Kharadiya, Jhalu, Wang, Dador, Layri, Chhari Fulay, Dhamay, Muru, Ugedi.
Kutch	Lakhpata	BhadaraMota, BhadaraNana, Dedrani, Kandhora, Denma, Sambhada, Kotda, Dhrang.
Kutch	Abdasa	Ashapar, Jangadiya, Bandiya, Ustiya (Bhandiya), Kuvapaddhar, Goyla.

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Netra Wind Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Netra Wind Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

V.K. MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./323/2021-22]